

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229759 CG-DL-E-1**7092021-229759**

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

No. 527]

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 641(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2 के खंड (3) के साथ पठित धारा 68 के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दत्तकग्रहण विनियमन, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित करती है, अर्थात:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम दत्तकग्रहण (संशोधन) विनियम, 2021 है।
 - (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. दत्तकग्रहण विनियमन, 2017 (इसे इसमें इसके पश्चात प्रधान विनियमन कहा गया है) में, अध्याय IV के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय अंत: स्थापित किया जाएगा:-

"अध्याय IV-क

बालकों को विदेश में पुनः स्थापन करने के इच्छुक माता-पिता द्वारा हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन दत्तक संतानों के लिए प्रक्रिया

22क. अध्याय का लागू होना .- (1) यह अध्याय निम्नलिखित पर लागू होगा-

- (क) देश के बाहर रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता या दत्तक माता-पिता द्वारा हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन सभी दत्तकग्रहण मामलों।
- (ख) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर के देशों से संबंधित सभी दत्तकग्रहण मामलों पर।
- (2) केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन अंतर-देशीय दत्तकग्रहण मामलों के आवेदनों को रजिस्टर किया जाएगा।
- 22ख. रिजस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख के मामले में प्रक्रिया (1) ऐसे मामलों में जहाँ दत्तकग्रहण विलेख हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन दत्तकग्रहण के अनुसरण में दत्तकग्रहण (संशोधन) विनियमन, 2021 के प्रारंभ होने से पहले ही निष्पादित किया जा चुका है, दत्तकग्रहण विलेख के तथ्यों का समर्थन करने वाले अपेक्षित दस्तावेज अनुसूची 33 में उपबंधित प्रारूप में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित सिफ़ारिश की जाएगी।
- (2) अनुसूची 33 के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन प्राप्त होने पर, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में यथा उपबंधित प्राप्तकर्ता देश से अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 17 के उपबंधों का पालन करेगा।
- (3) ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग अनुसमर्थित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा और अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के बाहर के देशों के मामले, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा अंतिम समर्थन पत्र जारी किए जाने के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राप्तकर्ता देश के संबंधित सरकारी विभाग से उक्त दत्तकग्रहण के स्वीकृति पत्र की मांग करेगा।
- **22ग. भावी अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के लिए प्रक्रिया -** (1) दत्तकग्रहण (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रवृत्त होने के पश्चात शुरू किए गए मामलों में, पात्र अ-निवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों द्वारा, हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन सभी अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के लिए निम्नलिखित मानक सामान्य प्रक्रिया लागू होगी जो भारत से किसी बालक का दत्तक ग्रहण किया है।
- (2) कोई हिन्दू भावी दत्तक ग्रहण माता पिता, जो साधारणतया विदेश में निवास कर रहे और भारत में रहने वाले भारतीय हिंदू माता-पिता से पैदा हुए भारतीय हिंदू बालक को गोद लेने के इच्छुक है, अपने साधारणतया निवास के देश में किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण एजेंसी या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर के देशों के मामले में), जैसी भी स्थिति हो, से संपर्क कर सकते हैं।
- (3) उनके साधारणतया निवास के देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण एजेंसी या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर के देशों के मामले में) पात्र और उपयुक्त भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन को केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को प्रायोजित करेगा।
- (4) केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण एजेंसी से प्राप्त प्रायोजक पत्र को बालक के निवास के जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ साझा करेगा।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करवाएगा, जिसमें जैविक माता-पिता और दत्तक लिए जाने के लिए प्रस्तावित बालक से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे और रिपोर्ट अनुसूची 34 में जिला बाल संरक्षण अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित की जाएगी।
- (6) पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण इसे संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण एजेंसी, या केंद्रीय प्राधिकरण, या संबंधित सरकारी विभाग (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर के देशों के मामले में) को उनके साधारणतया निवास के देश (हेग अनुसमर्थित देशों) में अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 17 के अधीन आवश्यक अनुमित या दत्तकग्रहण का समर्थन (हेग दत्तकग्रहण कन्वेंशन से बाहर के देशों के मामले में) का पत्र जारी करने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए अग्रेषित करेगा।
- 22घ. दत्तकग्रहण प्रक्रिया (1) हिन्दू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन संपन्न दत्तकग्रहण के पक्षकार संयुक्त रूप से जिला रजिस्ट्रार को दत्तकग्रहण विलेख, जिला मजिस्ट्रेट को प्रति सहित, प्रस्तुत करेंगे।
- (2) विलेख की ऐसी प्रति के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट ऐसी जांच करेगा, जिसे वह स्वयं का समाधान होने पर उचित समझे कि हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के सभी उपबंधों, और निर्धारणों का विनियमों के अधीन पालन किया गया है और ऐसी जांच तीस दिनों की अविध के भीतर पूरी की जाएगी।

- (3) यदि जिला मजिस्ट्रेट तीस दिनों के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहता है, वह तीस दिन के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने में असफल रहने के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ कारण देने के लिए बाध्य होगा, पक्षकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन संबंधित उप-रजिस्ट्रार के पास दत्तकग्रहण विलेख रजिस्ट्रीकृत करा सकते हैं, जिसमें किए गए आवेदन का विवरण देकर यह सूचित कर सकते हैं कि उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट निर्धारित समय के भीतर जिला मजिस्ट्रेट से जांच प्राप्त नहीं हुई है।
- (4) इसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट यह प्रमाणित करते हुए सत्यापन प्रमाणपत्र केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा कि-
 - (क) दत्तकग्रहण के विलेख में अभिलिखित दत्तकग्रहण हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के उपबंधों के अनुसार किया गया है, जिसमें अनुसूची 33 में बालकों की सोर्सिंग, दत्तक माता-पिता की पात्रता और उपयुक्तता सम्मिलित है।
 - (ख) वह दत्तक बालक या जैविक माता-पिता, बालक के दत्तकग्रहण के समय किसी दबाव में नहीं हैं;
 - (ग) दत्तकग्रहण सभी संबंधित पक्षों की आपसी सहमति से संपन्न हुआ था;
 - (घ) दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में कोई धनीय विचार सम्मिलित नहीं है और दत्तकग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।
- 22ङ. अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करना (1) रजिस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख पर जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापन प्रमाणपत्र, और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में उपबंध के अनुसार प्राप्तकर्ता देश से अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 17 के अधीन आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग अनुसमर्थित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा और तत्पश्चात अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (2) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर के देशों के मामले में, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा बाद में एक समर्थन पत्र जारी किया जाएगा।
- (3) दत्तकग्रहण के बाद छमाही आधार पर संबंधित अधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, या केंद्रीय प्राधिकरण, या संबंधित सरकारी विभाग, जैसी भी स्थिति हो, से अनुवर्ती रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।"
- 3. मूल विनियमों में, अनुसूची 32 के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूचियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुसूची 33

[विनियम 22ख और 22घ देखें]

हिन्दू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन संपन्न दत्तकग्रहण के मामले में सत्यापन प्रमाणपत्र

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

जिला:

राज्य:

विषय: हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन ----- नामक बालक के अंतर्देशीय दत्तकग्रहणों के लिए विनियमों के तहत अपेक्षित सत्यापन प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख के अनुसार...... जो के अभ्यस्त निवासी हैं ने नामक बालक को जैविक माता-पिता/संरक्षक निवासी से गोद लिया है।

- यह कि पक्षकारों और साक्षियों की जांच के पश्चात, मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:
 - (क) दत्तकग्रहण विलेख में अभिलिखित दत्तकग्रहण बच्चे के स्नोत, पात्रता और दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता सहित हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के उपबंधों के अनुसार ही किया गया है।
 - (ख) दत्तक बालक और जैविक माता-पिता बच्चे को दत्तक देते समय किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव में नहीं हैं।
 - (ग) दत्तकग्रहण सभी संबंधित पक्षकारों की आपसी सहमति से किया गया है।

- (घ) दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में कोई धनीय लेनदेन नहीं किया गया है और दत्तकग्रहण बालक के सर्वोत्तम हित में है।
- 3. मैंने सत्यापित कर लिया है और दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अनुशंसा करता हूं।

जिला मजिस्ट्रेट/सहायक जिला मजिस्ट्रेट का नाम

मुहर सहित कार्यालय का पता

सम्पर्क नं. :

निदेशक (कार्यक्रम) केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण वेस्ट ब्लॉक-8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 सूचना के लिए प्रतिलिपि :

- 1. जिला जन्म एवं मृत्यु पंजीयक
- 2. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी

अनुसूची 34

[विनियम 22ग(5) देखें]

कुटुंम्ब पृष्ठभूमि रिपोर्ट

हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन किए गए दत्तकग्रहण के सत्यापन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के लिए जांच सूची (कृपया नीचे संकेत किए गए अनुसार बॉक्स पर निशान (√) लगाएं)

- जैविक माता-पिता हिंदू हैं (हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) की धारा 2 के अनुसार)
 दत्तक माता-पिता हिंदू हैं, हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) की धारा 2
- के अनुसार)
- 3. दत्तक हिंदू पुरुष की पात्रता, हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अनुसार)-
 - क. स्वस्थचित है।
 - ख. अवयस्क नहीं है।
 - ग. पुत्र या पुत्री को गोद लेने में समर्थ है।
 - घ. अपनी पत्नी की सहमति ले चुका है (जब तक पत्नी ने पूर्णतया और अंतिम रूप से संसार का परित्याग न किया हो या वह अब हिंदू नहीं रही हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसे विकृतचित घोषित किया गया हो)।
- 4. दत्तक हिंदू महिला की पात्रता हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) की धारा 8 के अनुसार)-
 - क. स्वस्थचित है।
 - ख. अवयस्क नहीं है।
 - ग. पुत्र या पुत्री दत्तक लेने में समर्थ है।
 - घ. अविवाहित है, या विवाहित होने पर, उसका विवाह विच्छेद हो चुका है या उसका पति मर चुका है या संसार को पूर्णतया और अंतिम रूप से त्याग चुका है या वह अब हिंदू नहीं है या किसी सक्षम अधिकारिता

वाले न्यायालय द्वारा विकृतचित होना घोषित किया जा चुका हो तो वह पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने में सक्षम है।

- 5. एचएएमए के तहत दत्तक देने में समर्थ (हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) की धारा 9 के अनुसार)-
 - क. पिता द्वारा माता की सहमति से जबतक वह पूर्णतया और अंतिम रूप से संसार को त्याग न चुकी हो या वह अब हिंदू नहीं रही हो या किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से विकृतचित घोषित न की गई हो।
 - ख. माता यदि पिता की मृत्यु हो गई हो या पूर्णतया और अंतिम रूप से संसार को त्याग चुका हो या वह अब हिंदू नहीं रहा हो या किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय विकृतचित घोषित किया गया हो।
 - बच्चे के संरक्षक बच्चे को दत्तक देने में समर्थ होंगे।
- 6. दत्तकग्रहण के लिए बच्चे की पात्रता (हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) की धारा 10 के अनुसार)-
 - क. वह हिंदू हो।
 - ख. उसे पहले से दत्तक नहीं लिया गया है।
 - ग. उसका विवाह नहीं हुआ है,तब के सिवाय जबिक पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।
 - घ. उसने पंद्रह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तब के सिवाय जवकी पक्षकारों को लागु होने वालि कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।
- 7. वैध दत्तकग्रहण के लिए अन्य शर्तें (हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) की धारा 11 के अनुसार)-
 - क. पुत्र के दत्तकग्रहण में, दत्तकग्रहण करने वाले दत्तकग्राही पिता या माता के पास दत्तकग्रहण के समय जीवित हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र (वैध रक्त संबंध या दत्तकग्रहण द्वारा) नहीं होना चाहिए।
 - ख. पुत्री के दत्तकग्रहण में, दत्तकग्रहण करने वाले दत्तकग्राही पिता या माता के पास दत्तकग्रहण के समय जीवित हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री (वैध रक्त संबंध या दत्तकग्रहण द्वारा) नहीं होनी चाहिए।
 - ग. यदि दत्तकग्रहण किसी पुरुष द्वारा किया गया है और दत्तक ली जाने वाली बालिका हो, तो दत्तकग्राही पिता दत्तक ली जाने वाली पुत्री से कम से कम 21 वर्ष बड़ा हो।
 - घ. यदि दत्तकग्रहण किसी महिला द्वारा किया गया है और दत्तक लिया जाने वाला पुत्र हो, तो दत्तकग्राही माता दत्तक लिए पुत्र वाले बालक से कम से कम 21 वर्ष बड़ी हो।
 - ङ. वही अपत्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता।

जिला मजिस्ट्रेट/सहायक जिला मजिस्ट्रेट का नाम

मुहर सहित कार्यालय का पता

सम्पर्क नं. : "।

[फा. सं. 26/79/2020-सी डब्ल्यू-II]

प्रीति पंत, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 उप-खण्ड (1) में, सा.का.नि. 3(अ), तारीख 4 जनवरी 2017 द्वारा प्रकाशित किये गए थे, जिन्हें तत्पश्चात सा.का.नि. 583(अ), तारीख 11 अगस्त 2021 द्वारा संशोधित किया गया।

स्पष्टीकरक ज्ञापन

यह ऐसे मामलों में अंतर देशीय दत्तक-ग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जहाँ दत्तक विलेख को इन संशोधित विनियमों के प्रारंभ के पहले, हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन दत्तक ग्रहण के अनुसरण पहले ही निष्पादित किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे भूतलक्षी दिये जाने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

- G.S.R. 641(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of section 68 read with clause (3) of section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Central Government hereby notifies the following regulations to amend the Adoption Regulations, 2017, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Adoption (Amendment) Regulations, 2021.
 - (2) Save as otherwise provided, these regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Adoption Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the principal regulations), after Chapter IV, the following Chapter shall be inserted, namely:-

"CHAPTER IV-A

PROCEDURE FOR CHILDREN ADOPTED UNDER THE HINDU ADOPTION AND MAINTENANCE ACT, 1956, BY PARENTS WHO DESIRE TO RELOCATE CHILD ABROAD

- 22A. Application of Chapter.—(1) This Chapter shall apply to—
- (a) all adoption cases under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) by prospective adoptive parents or adoptive parents residing outside the country.
- (b) all adoption cases pertaining to countries outside the Hague Adoption Convention.
- (2) The Central Adoption Resource Authority shall register applications for inter-country adoptions concluded under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956).
- **22B.** Procedure in the case of registered adoption deed.- (1) In the cases where the adoption deed has already been executed in pursuance of adoption under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), before the commencement of the Adoption (Amendment) Regulations, 2021, the requisite documents supporting the facts of the adoption deed shall be duly verified and recommended by the District Magistrate in the format as provided in Schedule XXXIII.
- (2) On receipt of the verification of documents as per Schedule XXXIII, the Central Adoption Resource Authority shall comply with the provisions of Articles 5 or 17 from the receiving country as provided in the Hague Adoption Convention.
- (3) Upon receiving such certificate, the Central Adoption Resource Authority shall issue no objection certificate for Hague ratified countries and in cases of countries outside the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Inter-country Adoption, a letter accepting the said adoption from the Government department concerned of the receiving country shall be sought by the Central Adoption Resource Authority in order to issue the final support letter from the Central Adoption Resource Authority.
- **22C. Procedure for prospective inter-country Adoption.-** (1) In the cases initiated after the coming into force of the Adoption (Amendment) Regulations, 2021, the following standard common procedure shall be applicable for all inter-country adoptions concluded under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), by eligible non-resident Indians or Overseas Citizens of India cardholders, who are to take a child in adoption from India.

- (2) Any Hindu prospective adoptive parent habitually residing abroad and willing to adopt an Indian Hindu child born to Indian Hindu Parents, residing in India, may approach an Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority or concerned Government department (in case of countries outside the Hague Adoption Convention) in their country of habitual residence, as the case may be.
- (3) The Authorised Foreign Adoption Agency, or Central Authority or concerned Government department (in case of countries outside the Hague Convention) in their country of habitual residence shall sponsor the application of eligible and suitable prospective adoptive parents to the Central Adoption Resource Authority.
- (4) The Central Adoption Resource Authority shall share the sponsoring letter received from the Authorised Foreign Adoption Agency with District Magistrate of the district of residence of the child.
- (5) The District Magistrate shall get a family background report prepared which shall include all required documents related to the biological parents and the child proposed to be adopted and the report shall be conducted through the District Child Protection Officer or the District Child Protection Unit in the Schedule XXXIV.
- (6) On receiving the family background report, the Central Adoption Resource Authority shall forward it to the concerned Authorised Foreign Adoption Agency, or Central Authority, or concerned Government department (in case of countries outside the Hague Adoption Convention) in their country of habitual residence for issuing necessary permission under Articles 5 or 17 (Hague ratified countries) or letter supporting adoption (in case of countries outside the Hague Adoption Convention), as the case may be.
- **22D. Adoption process.-** (1) The parties to an adoption concluded under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) shall jointly present the deed of adoption to the District Registrar with copy to District Magistrate.
- (2) Based on such copy of the deed, the District Magistrate shall conduct such inquiry, as he may deem fit, to satisfy himself that all the provisions of Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), and the stipulations under the regulations have been followed and such inquiry shall be completed within a period of thirty days.
- (3) In case the District Magistrate fails to complete the inquiry within thirty days, he shall be bound to give reasons alongwith verification certificate for failing to provide the inquiry report within thirty days, the parties may register the adoption deed with the Sub-Registrar concerned under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), indicating the details of application made and that inquiry from District Magistrate has not been received within the stipulated time referred to in sub-regulation (2).
- (4) The District Magistrate shall thereafter forward the verification certificate to the Central Adoption Resource Authority certifying the following that-
 - (a) the adoption recorded in the deed of adoption has been made in accordance with the provisions of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), including the sourcing of the child, the eligibility and suitability of the adoptive parents in Schedule XXXIII.
 - (b) the adopted child or the biological parents are not under any duress while giving the child in adoption;
 - (c) the adoption had been concluded with mutual consent of all parties concerned;
 - (d) there has been no monetary consideration involved in the adoption process and the adoption is in the best interest of the child.
- **22E.** Issue of no objection certificate and Conformity Certificate.- (1) On receipt of verification certificate from the District Magistrate, on the registered adoption deed and necessary permission under Articles 5 or 17 from the receiving country as provided in the Hague Adoption Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of inter-country Adoption, the Central Adoption Resource Authority shall issue no objection certificate for Hague ratified countries and Conformity Certificate under Article 23 shall be issued by the Central Adoption Resource Authority subsequently.
- (2) In the case of countries outside the Hague Adoption Convention, a support letter shall be issued by the Central Adoption Resource Authority subsequently.

- (3) Post-adoption follow-up reports on a half-yearly basis shall be obtained from the concerned Authorised Foreign Adoption Agency, or Central Authority, or the Government department concerned as the case may be.".
- 3. In the principal regulations, after Schedule XXXII, the following Schedules shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE XXXIII

[Refer regulations 22B and 22D]

VERIFICATION CERTIFICATE IN CASE OF ADOPTION CONCLUDED UNDER THE HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956 (78 OF 1956)

Office of the District Magistrate

District:

State:

Subject: Verification Certificate as required under the Regulations for inter-country adoptions under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) in respect of child-----.

- 2. That after examining the parties and the witnesses, I conclude the following:
 - (a) The adoption recorded in the deed of adoption has been made in accordance with the provisions of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) including the sourcing of the child, the eligibility and suitability of the adoptive parents.
 - (b) The adopted child or the biological parents are not under any duress while giving the child in adoption.
 - (c) The adoption had been concluded with mutual consent of all parties concerned.
 - (d) There has been no monetary consideration involved in the adoption process and the adoption is in the best interest of the child.
- 3. I have verified and recommend the adoption to Central Adoption Resource Authority for necessary action.

Name of the DM/ADM

Office Address with Seal

Contact No:

Director (Programme)
Central Adoption Resource Authority
West Block-8, RK Puram, New Delhi-110066

Copy for information:

- District Registrar of Birth and Death
- 2. State Adoption Resource Agency -----

SCHEDULE XXXIV

[Refer regulation 22C(5)]

FAMILY BACKGROUND REPORT

l and ha U	indu Adoptions at	nd
Check list for District Magistrate for verification of adoption done under the H	mau Auoptions ar	
Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) (Pl put √ mark on the box as indicated below)		
Wallicenance Act, 1900 (19		-

Mai	intenance Act, 1956 (78 of 1956) (Pl put V mark on the box as indicated below)
1.	Biological parent(s) are Hindus (As per section 2 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act,
2	Adoptive parent(s) are Hindus (As per section 2 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act,
۷.	1956 (78 of 1956)):
3.	Eligibility of adoptive male Hindu (As per section 7 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956))
	(a) is of sound mind.
	(b) is not a minor.
	(a) has the capacity to take a son or a daughter in adoption.

- (c) has the capacity to take a son or a daughter in adoption.
- consent of his wife has been taken (unless the wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind).
- Eligibility of adoptive female Hindu (as per section 8 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956))
 - (a) is of sound mind.
 - (b) is not a minor.
 - (c) has the capacity to take a son or a daughter in adoption.
 - not married, or if married, whose marriage has been dissolved or whose husband is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, has the capacity to take a son or daughter in adoption.
- Capable of giving in adoption under HAMA (As per section 9 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956))
 - Father with consent of the mother unless the mother has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.
 - Mother if the father is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.
 - Guardian of a child shall have the capacity to give the child in adoption.
- Eligibility of Child for adoption (As per section 10 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956)) -
 - (a) he or she is a Hindu.
 - (b) he or she has not already been adopted.
 - he or she has not been married, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who are married being taken in adoption.
 - he or she has not completed the age of fifteen years, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who have completed the age of fifteen years being taken in adoption.

- 7. Other conditions for a valid adoption (As per section 11 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956))-
 - (a) if the adoption is of a son, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son or son's son's son (whether by legitimate blood relationship or by adoption) living at the time of adoption.
 - (b) if the adoption is of a daughter the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter (whether by legitimate blood relationship or by adoption) living at the time of adoption.
 - (c) if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least twenty-one years older than the person to be adopted.
 - (d) if the adoption is by a female and the person to be adopted is a male, the adoptive mother is at least twenty-one years older than the person to be adopted.
 - (e) the same child is not adopted by any other person.

Name of the DM/ADM

Office Address with Seal

Contact No:.".

[F. No. 26/79/2020-CW-II] PREETI PANT, Jt. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 sub-section (i) vide G.S.R. 3(E) dated 4th January, 2017 which have been amended subsequently vide G.S.R. 583(E) dated 11th August, 2021.

Explanatory Memorandum.

It is proposed to provide facility of inter country adoption, in the cases where adoption deed has already been executed in pursuance of adoption under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), before the commencement of these amendment regulations. It is certified that no person is prejudicially affected by giving such retrospectively.